

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1824(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संस्थान निकाय का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

1 . प्रो. देवी प्रसाद तिवारी, कुलपति, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

ii. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- पदेन सदस्य

iii. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :

3. संस्थान के निदेशक - पदेन सदस्य

iv. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :

4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार - वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
5. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

v. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :

6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
7. मुख्य सचिव, बिहार सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
8. प्रो.विजयलक्ष्मी सक्सेना, जनरल अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन
9. डॉ. एन. के. अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक महामारी विज्ञान नेटवर्क (आई एन सी एल ई एन)
10. डॉ.राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपाटोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नई दिल्ली

vi. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

11. डॉ. विश्वंभर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, ईएनटी विभाग, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी
12. डॉ. राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, पटना नगर निगम, पटना
13. डॉ. सूर्यकांत, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, श्वसन चिकित्सा विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
14. डॉ.सुब्रत सिन्हा, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, जैव रसायन विभाग, एम्स नई दिल्ली

vii. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत]:

15. डॉ.संजय जायसवाल, संसद सदस्य, लोकसभा
16. श्री छेदी पासवान, संसद सदस्य, लोकसभा
17. श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जैड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O . 1824(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012) , the Central Government hereby re-constitutes the **All India Institute of Medical Sciences , Patna** consisting of the following members , namely :-

I. Member under clause (a) of Section 4 :

1. Prof. Devi Prasad Tiwari, Vice Chancellor, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar

II. Member under clause (b) of Section 4 :

2. Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
-ex -officio

III Member under clause (c) of Section 4:

3. The Director of the Institute - ex-officio

IV Member under clause (d) of Section 4:

4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India – Representative of Ministry of Finance
5. Director, Indian Institute of Technology, Patna- Representative of Ministry of Human Resource Development

V. Member under clause (e) of Section 4 :

6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee.
7. Chief Secretary, Government of Bihar or his/her nominee
8. Prof. Vijaylakshmi Saxena, General President, Indian Science Congress Association
9. Dr. N.K. Arora, Executive Director, International Clinical Epidemiology Network (INCLIN)
10. Dr. Rajesh Upadhyay, Senior Director & Head, Gastroenterology and Hepatology, Max Super Speciality Hospital, New Delhi

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

11. Dr. Vishwambhar Singh, Associate Professor, Department of ENT, IMS , BHU, Varanasi
12. Dr. Rajeev Kumar Singh, Professor, Department of Physiology, Patna Municipal Corporation, Patna
13. Dr. Surya Kant, Professor & HOD, Department of Respiratory Medicine, King George Medical University, Lucknow
14. Dr. Subrata Sinha , Professor & HOD, Department of Biochemistry , AIIMS New Delhi

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Dr. Sanjay Jaiswal, Member of Parliament , Lok Sabha
16. Sh. Chhedi Paswan , Member of Parliament , Lok Sabha
17. Sh. Ram Chandra Prasad Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1825(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. एन के अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक, इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क (आई एन सि एल ई एन) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, **पटना** का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जैड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O . 1825(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. N.K. Arora, Executive Director, International Clinical Epidemiology Network (INCLEN), as President of the All India Institute of Medical Sciences, **Patna**.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.